



INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

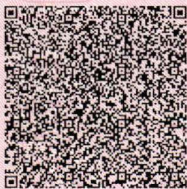


IN-UP64080966103046Y

e-Stamp

1891/26

Certificate No. : IN-UP64080966103046Y
 Certificate Issued Date : 21-Jan-2026 04:12 PM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0123665645729388Y
 Purchased by : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : VILL-DONA,GATA NO-2958 ETC,TOTAL AREA-0.2616 HEC LUCKNOW
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : SHRI KRISHAN
 Second Party : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
 Stamp Duty Paid By : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 5,12,750
 (Five Lakh Twelve Thousand Seven Hundred And Fifty only)



95

Please write or type below this line

IN-UP64080966103046Y

स्कॅनेड कुल पेज
 ज्ञानेन्द्र श्रीवास्तव
 निबन्धक सहायक
 प्रथम

म.क.
 श्रीवास्तव

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
 नायब तहसीलदार/संच०अ०
 ल०वि०प्रा०

PF 0026306343

Statutory Alert:

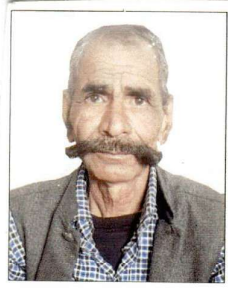
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SD

SHIL



0058308343



विक्रय विलेखपत्र का विवरण

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट - 70,00,000 /- (प्रति हे०)
 2. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे०) :- 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000 /- (प्रति हे०)
 3. विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति - 73,24,800 /-
(वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य)
 4. मालियत रू० - 18,31,200 /-
 5. जनरल स्टाम्प - 5,12,750 /-
- स्टाम्प सं. डी **IN-UP64080966103046Y** व दिनांक **21-01-2026**

विक्रय विलेख

6. भूमि का प्रकार - (कृषि)
7. ग्राम/मोहल्ला - दोना
8. परगना व तहसील - काकोरी तहसील सरोजनीनगर
9. जनपद - लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

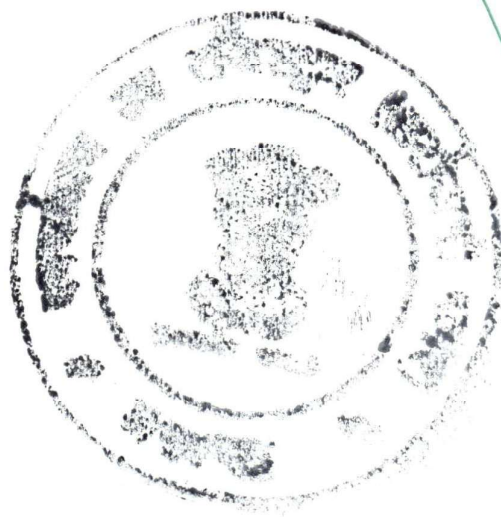
- खसरा सं० 2958 का कुल रकबा 0.2910हे० में से विक्रीत रकबा 0.0970हे०,
 खसरा सं० 3005 का कुल रकबा 0.2150हे० में से विक्रीत रकबा 0.0720हे०,
 खसरा सं० 3062 का कुल रकबा 0.0500हे० में से विक्रीत रकबा 0.0166हे०,
 खसरा सं० 2967 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0170हे०,
 खसरा सं० 2845 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विक्रीत रकबा 0.0506हे०,
 खसरा सं० 2957 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0084हे०,
 कुल रकबा 0.7840 में से विक्रीत रकबा 0.2616हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।
10. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.2616हे०
 11. सड़क की स्थिति - किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।
 12. विक्रीत रकबा किसी रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी० दूरी पर स्थित है।
 13. विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है।

नि. 30/01/2026

(Signature)

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
 नायब तहसीलदार/संच०अ०
 ल०वि०ग्रा०

47



ଉତ୍କଳ ପାଠକ ସମିତି
ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଭାରତୀୟ

42

:: 2 ::

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

14. परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) — नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या-2958

15. पूरब — गाटा संख्या — 2956 व 2957
 16. पश्चिम — गाटा संख्या — 2959
 17. उत्तर — गाटा संख्या — 2892
 18. दक्षिण — गाटा संख्या — 3055

19. विक्रेता का विवरण:-

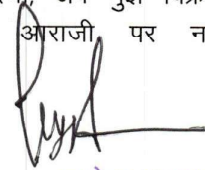
श्री कृष्ण पुत्र जानकी, निवासी —दोना, विशेषर खेडा, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
 आधार नं० 2117 5487 9605 मो० नं० 9161092797 पैन नं० OINPK2781P

20. क्रेता का विवरण:-

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत — वरुण विहार आवासीय योजना
 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
 लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण
 गोमती नगर, लखनऊ
 द्वारा — श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला
 पदनाम — सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार
 विभाग — लखनऊ विकास प्राधिकरण
 जनपद — लखनऊ मो० — 9540244993
 पैन संख्या — AAALL0016F

21. विक्रीत भूमि विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल, रेहन व बय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नहीं है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें से रकबा 0.2616 हेक्टेयर भूमि विक्रीत की जाती है। अब वजरूरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारो व दाखिल-खारिज सहित पूरे होषो ह०वास में खूब सोच व समझकर, बिना दवाव नाजायज किसी षख्स के, मय कुल हक व हकूक के विला छोडे किसी चीज व हक व जुज के विल एवज मुबलिंग रूपये 73,24,800/—(रूपये तिहत्तर लाख चौबिस हजार आठ सौ मात्र) जिसके आधे मुबलिंग रूपये 36,62,400/—(रूपये छत्तीस लाख बासठ हजार चार सौ मात्र) होते हैं, बदस्त क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरुण विहार योजना गोमती नगर, लखनऊ द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बय कामिल व फरोखा कतई किया यानि लखनऊ विकास प्राधिकरण को बेच दिया और कुल जर समन हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से क्रेता मजकूर का कब्जा वाकई बखूबी करा दिया, अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नहीं

निम्न अधिका



ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
 नायब तहसीलदार/स०च०अ०
 ल०वि०प्रा०

46



रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी नहीं रहा। अगर कोई शख्स दावा करे, तो व बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी बयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारो से निकल जावे या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा-खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बन्धित सभी हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तरित कर दिए हैं अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नहीं किया गया है। और प्रणगत भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के समक्ष गवाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

22. तफसील आराजी बयसुदा:-

भूमिधरी आराजी खसरा सं० 2958 का कुल रकबा 0.2910हे० में से विक्रीत रकबा 0.0970हे०, खसरा सं० 3005 का कुल रकबा 0.2150हे० में से विक्रीत रकबा 0.0720हे०, खसरा सं० 3062 का कुल रकबा 0.0500हे० में से विक्रीत रकबा 0.0166हे०, खसरा सं० 2967 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0170हे०, खसरा सं० 2845 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विक्रीत रकबा 0.0506हे०, खसरा सं० 2957 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0084हे०, कुल रकबा 0.7840 में से विक्रीत रकबा 0.2616हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

23. तफसील बसूलयाबी:-

कुल विक्रय मूल्य मु० रुपये 73,24,800 /- (रुपये तिहत्तर लाख चौबिस हजार आठ सौ मात्र) विक्रेता श्री कृष्ण पुत्र जानकी उपरोक्त को जरिए डिमांड ड्रॉफ्ट ICICI Bank शाखा अशोक मार्ग, लखनऊ विकास प्राधिकरण ड्रॉफ्ट संख्या 537512 क्रमशः दिनांक 19.01.2026 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विक्रेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू-राजस्व की भाँति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विक्रेता से वसूलने

रखन
श्रीगणेश

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संच०ओ
ल०वि०प्रा०

44



43

:: 4 ::

का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से स्रोत पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

24. स्थान— लखनऊ।

दिनांक—..... 2/11/2026



राम शरण



ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संच०अ०
ल०वि०प्रा०





42

आवेदन सं०: 202601041004019

विक्रय पत्र

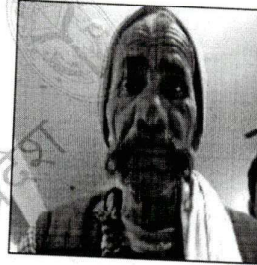
बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1891

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 7324800 स्टाम्प शुल्क- 512750 बाजारी मूल्य - 1831200 पंजीकरण शुल्क - 73250 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 73310

श्री श्री कृष्ण ,
पुत्र श्री जानकी
व्यवसाय : अन्य
निवासी: दोना



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 02/02/2026 एवं 07:16:22 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रति विक्रम .

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लाखनऊ

02/02/2026

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक

02/02/2026



स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश



41

दिनेश कुमार

हस्ताक्षर विक्रेता

गवाह - 01

नाम - श्री शिवम अवस्थी (संविदा अमीन)
पिता का नाम - श्री दिनेश कुमार अवस्थी
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आधार संख्या- 4986 9378 6018

मोबाइल संख्या - 6387717976


Rysk

हस्ताक्षर क्रेता

गवाह - 02

नाम - श्री देशराज (लेखपाल)
पिता का नाम - श्री राम सागर
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आधार संख्या- 6542 8459 4318

मोबाइल संख्या - 7081100818

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संचालक
लखनऊ





टाइपकर्ता





प्रालेखक

सौरभ
लखनऊ विकास प्राधिकरण


श्री दान बहादुर पाठक
(एडवोकेट)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
मो 6386063529



40

श्री देशराज लेख0,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

Ember



लखनऊ विकास प्राधिकरण
व्यवसाय: नौकरी
02/02/2026

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature
प्राति विक्रम .

उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ

02/02/2026

Signature
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक लखनऊ

02/02/2026

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

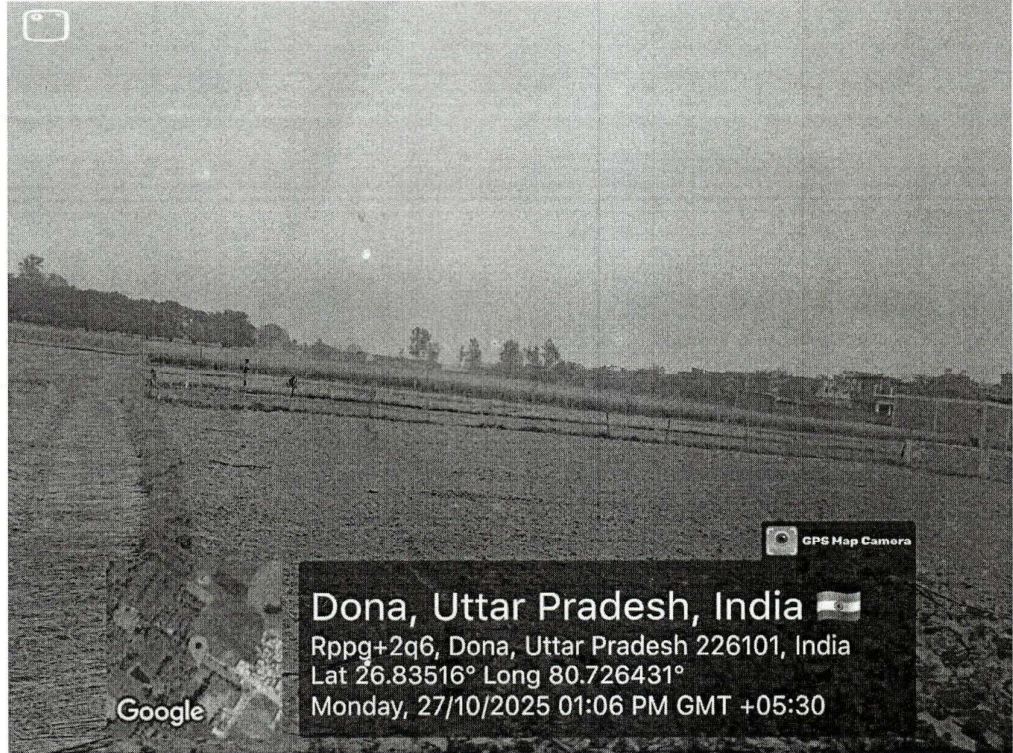


39

:: 6 ::

विक्रीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

खसरा सं० 2958 का कुल रकबा 0.2910हे० में से विक्रीत रकबा 0.0970हे०, खसरा सं० 3005 का कुल रकबा 0.2150हे० में से विक्रीत रकबा 0.0720हे०, खसरा सं० 3062 का कुल रकबा 0.0500हे० में से विक्रीत रकबा 0.0166हे०, खसरा सं० 2967 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0170हे०, खसरा सं० 2845 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विक्रीत रकबा 0.0506हे०, खसरा सं० 2957 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0084हे०, कुल रकबा 0.7840 में से विक्रीत रकबा 0.2616हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।




27-10-2025

विक्रेता के हस्ताक्षर



ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
केता के हस्ताक्षर/सं०च०अ०
ल०वि०प्रा०



SB

आवेदन सं०: 202601041004019

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1891

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री श्री कृष्ण,

[SHRI KRISHAN

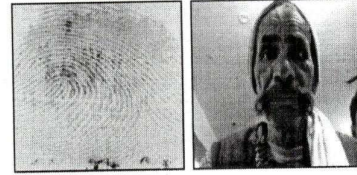
पुत्र श्री जानकी

निवासी: दोना

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 781P

क्रेता: 1



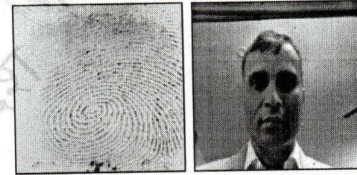
श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ज्ञानेन्द्र
प्राताप शुक्ला (नायब तहसीलदार),

[LUCKNOW DEVELOPMENT
AUTHORITY

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नोकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 016F



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री शिवम अवस्थी अमीन

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नोकरी

पहचानकर्ता: 2

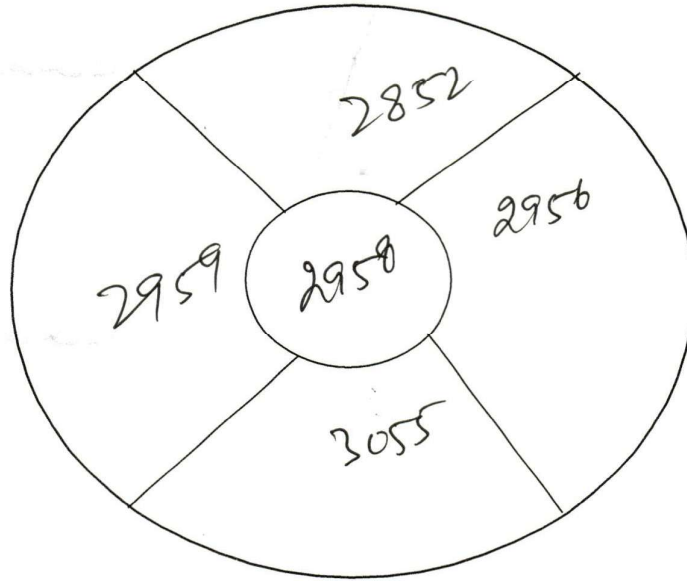


32

:: 7 ::

0 - 200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

खसरा सं० 2958 का कुल रकबा 0.2910हे० में से विक्रीत रकबा 0.0970हे०, खसरा सं० 3005 का कुल रकबा 0.2150हे० में से विक्रीत रकबा 0.0720हे०, खसरा सं० 3062 का कुल रकबा 0.0500हे० में से विक्रीत रकबा 0.0166हे०, खसरा सं० 2967 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0170हे०, खसरा सं० 2845 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विक्रीत रकबा 0.0506हे०, खसरा सं० 2957 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0084हे०, कुल रकबा 0.7840 में से विक्रीत रकबा 0.2616हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



सि.  विक्रेता के हस्ताक्षर



क्रेता के हस्ताक्षर
जयदेव मताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/सं०च०अ०
ल०वि०प्रा०



26

आवेदन सं०: 202601041004019

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15043 के पृष्ठ 333 से 348 तक क्रमांक 1891 पर दिनांक 02/02/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रीति विक्रम .

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

02/02/2026



रजिस्ट्रार जनरल
उत्तर प्रदेश
लखनऊ